

7-6-18- पकावली आज सुबह कोर्ट दीवनवाड में पेशकी
पुस्तक के संबंधित वाद पत्र का निस्तारण हो चुका
है। प्र.प.क. अर्पण निवेद्याशा का अब कोर्ट में प्रेषण
नहीं हो सकेगा; प्र.प.क. अर्पण निवेद्याशा को जारी
रिमा जाता है। पकावली के लिये अगले दोषर लखन
के रूप में तथा वायकेल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (कुमुद)